International Journal of Advanced Education and Research
ISSN: 2455-5746
Impact Factor: RJIF 5.34
www.alleducationjournal.com
Volume 3; Issue 5; September 2018; Page No. 55-58

आदिम जाति प्रखण्ड पिपराही (जिला रीवा) के आदिवासी बालिकाओं में प्रचलित सामाजिक कुरीतियाँ बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा के विकास का अध्ययन

डॉ० सुशील कुमार शुक्ला
विभागाध्यक्ष, शिक्षक शिक्षा विभाग, साई कालेज ऑफ एजुकेशन, महोबा, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश
शोधार्थी ने आदिम जाति प्रखण्ड पिपराही (जिला रीवा) के आदिवासी बालिकाओं में प्रचलित सामाजिक कुरीतियाँ बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा के विकास का अध्ययन किया। शोधार्थी विगत कई वर्षों से शिक्षकीय कार्य सम्पादित कर रहा है। शैक्षिक गतिविधियों में संलग्नता शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नवाचारी कार्य करने की भावना ने शोधार्थी को प्रेरित किया कि अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली सामाजिक–आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करे, जिससे अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं की यथार्थ शैक्षिक स्थिति का ज्ञान हो सके, साथ ही वे सभी कारक ज्ञात हो सके, जो इनकी शैक्षिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। बालिकाओं के शैक्षिक विकास में प्रारम्भिक शिक्षा का उतना ही महत्व है, जितना किसी भवन की मजबूती उसकी नीव पर निर्भर करती है। अतः निःसंकोच कहा जा सकता है, कि प्रारंभिक शिक्षा बालिकाओं के सर्वागींण विकास में भवन के नीव के पत्थर के समान है।

मूल शब्द : आदिम जाति, पिपराही, बालिकाएँ, सामाजिक कुरीतियाँ, प्रारंभिक शिक्षा।

प्रस्तावना
शिक्षा और समाज का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। शिक्षा जन्म के साथ सुख शुरू होती है और जीवन के अन्त तक चलती रहती है। मानव जीवन में जो कुछ भी अर्जित है वह शिक्षा का ही परिणाम है। व्यक्ति का चरित्र, व्यक्तित्व, संस्कृति, चिन्तन, सूझ–बूझ, कुशलताएँ, आदतें, शिक्षा पर निर्भर है। वास्तव में शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक सब प्रकार से विकसित होकर समाज में उपयुक्त स्थान ग्रहण करता है। यदि शिक्षा न होती तो 'समाज' का जन्म ही न होता। सामाजिक जीवन का प्रवाह शिक्षा के कारण ही गतिशील होकर विकास की ओर अग्रसर होता है। किसी देश का विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। देश की भौतिक सम्पन्नता, बौद्धिक श्रेष्ठता, संस्कारिकता, मानवीय रूचि की परिष्कृतता, सदगुण सदाचार, जीवन मूल्य आदि सभी मूल आधार उस देश की शिक्षा पर ही निर्भर है। शिक्षा के ही द्वारा हमारी कीर्ति का प्रकाश चारों ओर फैलता है तथा शिक्षा ही हमारी समस्याओं को सुलझाती है एवं हमारे जीवन को सुस्कृत बनाती है। हम देश में रहें अथवा विदेश में शिक्षा प्रत्येक स्थान पर हमारी सहायता करती है। सभी देशों ने शिक्षा के महत्व को आज मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल कर अपने प्रमुख प्रायोजित कार्यो के रूप में स्वीकार किया है।

सम्पूर्ण भारतीय भू–भाग में विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ निवास करती है, जिनकी भाषाई भिन्नता राज्य एवं क्षेत्र के अनुसार ज्ञात की जाती है। इस देश की एक और विशेषता यह है कि यह कुछ विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में भी बँटा हुआ है, जिनका कि प्रभाव उस क्षेत्र के निवासियों पर पड़ना स्वाभाविक ही है, इस प्रकार भारत वर्ष में एक ओर विभिन्न प्रजातीय तत्वों का समावेश है और दूसरी ओर विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का। इन विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाली विभिन्न आदिम जातियां एवं अनुसूचित जातियाँ इस प्रकार हैं।

अन्तर्राट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) ने किसी भी देश के मूल निवासियों को आदिवासी[1] शब्द से संबोधित किया है। भारत में भी समय–समय पर ऐसे समुदायों को, जो आधुनिकता से दूर, अपनी पुरानी मान्यताओं के साथ जंगलो और कन्दराओं में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अनेक नामों से पुकारा गया है। प्रसिद्ध नृतत्व शास्त्री रिजले, ब्येके, गिगसन, रोबर्ट, टेलेट्स, सेजविक, मार्टिन तथा भारतीय समाज सुधारक श्री ए.वी. ठक्कर ने जहां इन व्यक्तियों को आदिवासी कहा है।[2] वहां हट्टन ने इन्हें आदिम जातियां (प्रीमिटिव ट्राइब्स) नाम से संबोधित किया है।[3] वेरियन एल्विन ने इन्हें देश का मूल स्वामी (ओरिजनल ओनर्स) कह कर पुकारा है।[4] बेन्स ने इन्हें वन्य जाति (जगल पीपुल, फारेस्ट ट्राइब्स अथवा फोक) की संज्ञा दी है।[5] श्री एम.एल. श्रीकांत के शब्दों में जनजातियां भारत वर्ष में विभिन्न समयों में अलग–अलग नामों से जानी गयी हैं, जैसे आरण्यक, रानीपरज व आदिवासी।[6]

प्रसिद्ध समाज शास्त्री डॉ. घुरिये ने इन्हें तथाकथित आदिवासी अथवा पिछड़े हुए हिन्दू नाम दिया[7] तथा उन्होंने इनके लिए प्रस्तावित किया कि इन्हें अनुसूचित जनजाति के नामों से संबोधित किया जाय, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 खण्ड–1 में इस प्रकार स्वीकार किया गया है। "राष्ट्रपति सार्वजनिक सूचना द्वारा जनजातियों, जनजाति समुदाय या जनजातियों के भीतरी समूहों की घोषणा करेंगे। इस सूचना में जिन जनजातियों, जनजाति समुदाय या जनजातियों के भीतरी समूह परिगणित किए जायेगें, वे सब अनुसूचित जनजाति कहलायेंगे।"[8]

शोधार्थी द्वारा शोध हेतु चयनित क्षेत्र में आदिवासी वर्ग के निवासियों की बहुलता है, तथा इस वर्ग की सामाजिक–आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। इस वर्ग की समाजिक व्यवस्थाएँ तथा मान्यताएँ इतनी रूढ़िवादी है जो उनकी शिक्षा के विकास की प्रमुख अवरोधक हैं। आर्थिक दशा दयनीय होने के कारण भी प्रमुख रूप से शिक्षा के विकास में अवरोधक है। आजादी के 58 वर्षों बाद भी हमारे देश में अनुसूचित जानजाति वर्ग के लगभग एक तिहाई लोग ही साक्षर हो पाये हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तमाम शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के बावजूद अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं की शिक्षा का विकास समुचित नहीं हो सका, जिसके कारण इन वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व समाज में नहीं मिल पाया। समुचित शिक्षा

का विकास न होने के कारण यह वर्ग समाज की मुख्य धारा में आज तक नहीं जुड़ पाया। हमेशा से उत्पीड़न, शोषण, उपेक्षा, अस्पृष्यता के कारण यह वर्ग स्वतंत्रता, समानता और न्याय की प्राप्ति से अछूता रहा है।

शोध की आवश्यकता एवं महत्व

अनुसंधान एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण मनुष्य नए–नए खोज करता रहता है, क्योंकि शोध के आधार पर नवीन वैज्ञानिक तथ्यों तथा सिद्धान्तों की रचना होती रहती है। नवीन तथ्यों की जानकारी से उसकी चिन्तन शक्ति, विश्लेषण शक्ति तथा विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा मानव विकास की जननी है शिक्षा व्यक्ति के सर्वागींण विकास का अद्यतम साधन है। किसी राष्ट्र का विकास उस राष्ट्र की जन साधारण की शिक्षा पर निर्भर है। अर्थात् शिक्षा ही राष्ट्र के विकास का मुख्य आधार है। आदिवासी की सामाजिक व धार्मिक मान्यताओं, परम्पराओं, रूढ़ियों का पता लगाकर प्रारम्भिक शिक्षा के प्रति बालिकाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है।

उद्देश्य

शैक्षिक समस्याओं के समाधान की दिशा में कुछ निश्चित विन्दु होते हैं, जिनको प्राप्त करने की दिशा में शोध उन्मुख होता है। यही बिन्दु शोधार्थी द्वारा शोध के उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं जो निम्नांकित है–

1. आदिवासी वर्ग की बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा में सहभागिता की स्थिति का पता करना।
2. आदिवासी वर्ग की समाजिक–आर्थिक समस्याओं का पता करना।

परिकल्पना

परिकल्पना क्रमांक

"शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में प्रचलित सामाजिक कुरीतियाँ बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा के विकास में बाधक है।"

परिसीमांकन

प्रस्तुत शोधकार्य हेतु चयन आदिम जाति प्रखण्ड पिपराही जिला रीवा के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के बालिकाओं से किया गया है। शोध कार्य पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में संचालित प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों पर आधारित है।

न्यादर्श

1. अध्ययन क्षेत्र के समस्त शासकीय विद्यालयों का चयन किया गया है, जिसमें अध्ययनरत आदिवासी वर्ग की 100 बालिकाओं का चयन किया गया है।
2. अध्ययन क्षेत्र के विद्यालयों से आदिवासी वर्ग की 100 बालिकाओं, 10 शिक्षकों एवं 10 शिक्षिकाओं का चयन किया गया है।
3. न्यादर्श हेतु चयनित विद्यालयों में अध्ययनरत आदिवासी वर्ग की बालिकाओं के कुल 30 अभिभावकों का चयन किया गया है, जिसमें 20 पुरूष एवं 10 महिलाएँ हैं।

अध्ययन पद्धति

शोधार्थी का शोध वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण मूलक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। शोध कार्य के दौरान निम्न शोध विधियों एवं उपकरणों का समावेश किया गया है–

1. सर्वेक्षण विधि
2. अवलोकन विधि

चयनित विधियों में निम्न उपकरणों का प्रयोग किया गया है–

1. साक्षात्कार पत्रक
2. प्रश्नावली

शोध क्षेत्र से संबंधित पूर्व में किये गये कार्यो की संक्षिप्त समीक्षा

किसी भी अध्ययन कार्य को करने से पहले उस विषय से संबंधित पूर्व विद्वानों के कार्यो का अवलोकन उससे संबंधित साहित्य के अध्ययन से अध्ययन कार्य में सहायता मिलती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु शोधार्थी ने अपने सीमित प्रयासों से नजदीकी विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में भ्रमण किया तथा विषय से संबंधित पूर्व में किए गए अनुसंधानों का अध्ययन किया, जो निम्नानुसार है– प्रिया, नीरज (2006)[9], पाठक, पी.डी. (2007)[10], सिंह, ममता (2007)[11], यादव, केदारनाथ सिंह एवं यादव, रामजी (2005)[12], तिवारी, डॉ.(श्रीमती) रंजना (2016)[13], वर्मा, डॉ. जग प्रसाद (2016)[14], ने आदिवासी बालिकाओं में प्रचलित सामाजिक कुरीतियाँ बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा के विकास का अध्ययन किया।

शोध क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र पिपराही का गठन सन् 1979 मे एकीकृत आदिवासी लघु विकास परियोजना मऊगंज पिपराही का गठन किया गया जो बाद मे मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति, कल्याण विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–23/68/3/25/ भोपाल दिनांक 25.08.1990 के द्वारा परियोजना का पुर्नगठन किया पिपराही को मुख्यालय बनाया गया। इसके अंतर्गत मऊगंज तहसील के मऊगंज एवं सीतापुर राजस्व निरीक्षक मण्डल को 22 ग्राम एवं हनुमना तहसील के हनुमना एवं खटखरी राजस्वनिरीक्षक मंडलों 27 ग्राम कुल 49 ग्रामों जो जनजातीय बहुल जनसंख्या वाले है को समाहित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र 24°32′ से 24°34′ उत्तरी अक्षांश तथा 81°42′ से 82°20′ पूर्वी देशांतर के मध्य रीवा जिले के विन्ध्य पर्वत माला के दो श्रणियों के मध्य 70 कि.मी. पूर्व पश्चिम लंबाई एवं उत्तर दक्षिण 5 कि.मी. चौड़ाई मे स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 77180.75 एकड़ तथा जनसंख्या 27123 व्यक्ति है, जिनमे 63.68 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या है। पिपराही के दक्षिणी भाग का सीमांकन सीधी जिला पूर्व मे मिर्जापुर उत्तर प्रदेश पश्चिम उत्तर मे मऊगंज एवं हनुमना तहसील के गैर आदिवासी क्षेत्र है। मुख्यालय पिपराही हनुमना सीधी मार्ग पर हनुमना से 25 कि.मी. एवं सीधी से 70 कि.मी. दूरी पर स्थित है। मऊगंज से पिपराही की दूरी 50 कि. मी. रीवा से 114 कि.मी. है।

प्रदत्तों का सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या

शोध क्षेत्र में संकलित किये गये प्रदत्तों का सारणीयन कर उनका विश्लेषण एवं व्याख्या की गई प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या निम्नानुसार हैं।

तालिका 1: पूर्व माध्यमिक स्तर में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के निरन्तरता में अवरोध के कारणों का अध्ययन

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिषत
1.	बाल विवाह	19	19.00
2.	धार्मिक व सांस्कृतिक परंपराएं	18	18.00
3.	अशिक्षित माता–पिता	10	10.00
4.	शिक्षकों का सहयोग	08	08.00
5.	आर्थिक विपन्नता	23	23.00
6.	शिक्षा के प्रति अरूचि	22	22.00
योग		100	100.00

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त तालिका में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं की शिक्षा के निरन्तरता में अवरोधक कारकों का अध्ययन किया गया है। अनुसूचित जनजाति के 22.00 प्रतिशत बालिकाएं विद्यालय जाना त्याग देते हैं। धार्मिक व सांस्कृतिक कुरीतियों के कारण अनुसूचित जनजाति के 18.00 प्रतिशत बालिकाएं विद्यालय त्याग देते हैं। अशिक्षित माता–पिता का होना भी बालिकाओं की शिक्षा की निरन्तरता में बाधक है। आर्थिक विपन्नता शिक्षा की निरन्तरता का प्रमुख कारण है। बाल्यावस्था में विवाह हो जाने के कारण अनुसूचित जनजाति के 19.00 प्रतिशत बालिकाएं विद्यालय जाना बन्द कर देते हैं। अतः स्पष्ट है कि बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अरूचि, धार्मिक व सांस्कृतिक परम्पराए, अशिक्षित माता–पिता आर्थिक विपन्नता एवं बाल–विवाह शिक्षा की निरन्तरता में प्रमुख बाधक है।

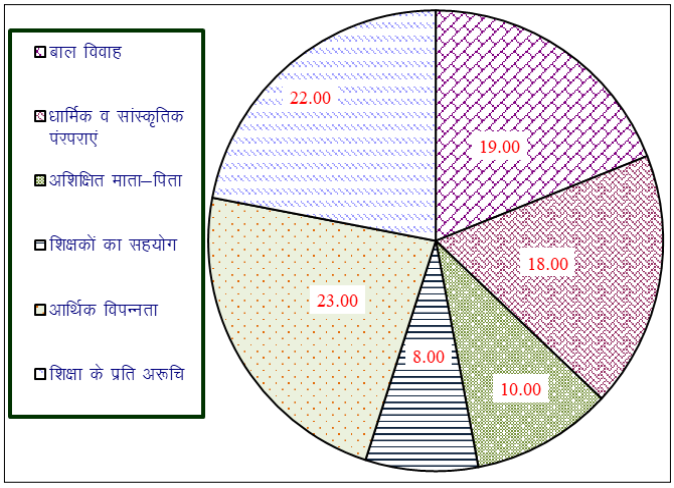

आकृति 1: पूर्व माध्यमिक स्तर में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के निरन्तरता में अवरोध के कारणों का अध्ययन

तालिका 2: अनुसूचित जनजाति वर्ग के पालकों में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन

शैक्षणिक स्तर	कुल संख्या	अभिभावकों का अभिमत			
		पढ़ाना चाहते हैं		पढ़ाना नही चाहते हैं	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
प्राथमिक	150	105	70.00	48	32.00
पूर्व माधमिक	150	87	58.00	60	40.00
योग	300	192	64.00	108	36.00

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त तालिका में शोधार्थी ने अनुसूचित जनजाति के अभिभावकों में अपनी बालिकाओं के अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण से सम्बन्धित आंकड़ों के अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण से सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन किया हैं। प्राथमिक स्तर में अनुसूचित जनजाति के 70.00 प्रतिशत अभिभावक बालिकाओं को पढ़ाना चाहते हैं, जबकि 32.00 प्रतिशत अभिभावकों का दृष्टिकोण बालिकाओं को पढ़ाने के प्रति नकारात्मक हैं।

पूर्व माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति के 58.00 प्रतिशत अभिभावकों का बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, जबकि 40 प्रतिशत अभिभावकों का अपनी बालिकाओं की पूर्व माध्यमिक शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है। अतः स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभिभावक आज भी अपने बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा के प्रति सजग नहीं है।

तालिका 3: अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के अभिभावकों की पलायनवादी प्रवृत्ति के कारण प्रारम्भिक शिक्षा के विकास में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन

क्र.	शैक्षणिक स्तर	अ.ज. जाति वर्ग के बालिकाओं के अभिभावकों का अभिमत		
		कुल संख्या	पलायन करने वाले अभिभावकों की संख्या	प्रतिशत
1.	प्राथमिक	150	65	43.44
2.	पूर्व माध्यमिक	150	44	29.33
	योग	300	109	36.33

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त तालिका में अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं में उनके अभिभावकों की पलायनवादी प्रवृत्ति के कारण प्रारम्भिक शिक्षा के विकास में आने वाली रूकावटों का अध्ययन किया गया है। न्यादर्श शोध क्षेत्र के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं के 150–150 अभिभावकों को लिया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को 29.33 प्रतिशत अभिभावक जीविकोपार्जन हेतु अन्यत्र पलायन करते हैं। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बालिकाओं के माता–पिता गावों से शहरों में भरण–पोषण की तलाश में चले जाते हैं। अभिभावकों के साथ उनका परिवार भी पलायन कर जाता है। अतः स्पष्ट है कि अनुसूचित जन जाति के बालिकाओं के अभिभावकों की पलायनवादी प्रवृत्ति शिक्षा के विकास में अवरोध है।

तालिका 4: अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं को शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं व प्रोत्साहन योजनाओं के लाभ के सम्बन्ध में शिक्षक अभिमत

क्र.	व्यवसाय	शिक्षक अभिमत		शिक्षिका अभिमत	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	सामान्य	04	8.00	02	4.00
2.	पूर्णतः	40	80.00	40	80.00
3.	आंशिक	06	12.00	08	16.00
4.	कुछ नहीं	-	-	-	-
योग		**50**	**100.00**	**50**	**100.00**

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त तालिका में अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं को शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं व प्रोत्साहन योजनाओं के लाभ के सम्बन्ध में शिक्षकों के अभिमत का विश्लेषण किया गया है। 80.00 शिक्षकों एवं 80.00 प्रतिशत शिक्षिकाओं का मत है कि प्रोत्साहन योजनाओं का पूर्णतः लाभ बालिकाओं को मिल रहा है। 12.00 प्रतिशत शिक्षक एवं 16.00 प्रतिशत शिक्षिकाओं का मत है कि प्रोत्साहन योजनाओं का प्रभाव बालिकाओं पर आंशिक रूप से पड़ रहा है। 8.00 प्रतिशत शिक्षक एवं 4.00 प्रतिशत शिक्षिकाओं का मत है कि संचालित प्रोत्साहन योजनाओं का प्रभाव सामान्य स्तर का है। अतः स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु शासन द्वारा संचालित प्रोत्साहन योजनाओं का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि शासकीय प्रोत्साहन योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जाय।

निष्कर्ष

शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में प्रचलित विभिन्न सामाजिक कुरीतियों एवं अभिभावकों का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का प्राप्त आंकड़ों से यह परिलक्षित होता है कि प्रचलित सामाजिक कुरीतियाँ प्रारम्भिक शिक्षा के विकास को बाधित करती है। अतः परिकल्पना सत्यापित होती है।

सुझाव

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निर्देशित निदानात्मक कक्षाओं के विधिवत एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु शोधार्थी द्वारा प्रस्तावित सुझाव निम्नलिखित हैं–

1. अनुसूचित जनजाति वर्ग में बाल–विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने हेतु सामाजिक चेतना जागृत करने की आवश्यकता है।
2. अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभिभावकों के बालिकाओं की शिक्षा के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।
3. समाज में व्याप्त सामाजिक विशमता को व्यवहारिक रूप से समाप्त करने हेतु, सामाजिक संचेतना का विकास किया जाना चाहिए, ताकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर उनका सर्वागींण विकास किया जा सके।

सन्दर्भ

1. गुजरात विद्यापीठ, गुजरात के आदिवासी 1968 पृष्ठ क्रमांक 3
2. उप्रेती हरिशचन्द्र, भारतीय जनजातियां, सामाजिक विज्ञान हिन्दी रचना केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, 1970, पृ.क्र. 1
3. हट्टन सेन्सन ऑफ इंडिया 1931, खंड– 1, भाग – 1, पृष्ठ क्रमांक 391 उदृत मेमोरिया सी.बी. ट्राइबल डेमोग्राफी इन इंडिया, किताब महल, देहली, 1957, पृष्ठ क्रमांक 19
4. वेरियर एल्विन, दि वेगाज, पृष्ठ क्रमांक 519
5. सेन्सस ऑफ इंडिया, 1981 खंड 1, भाग 1, पृष्ठ क्रमांक 158
6. श्रीकांत एम.एल. क्लासीफिकेशन ऑफ ट्राइब्स ट्राइवल सोविनियर पृष्ठ क्रमांक 13
7. धुरिये, जी.एस., ओरिजनल सोकाल्ड देयर फ्यूचर– 1943, पृ. क्रमांक 31, उद्धत मेमोरिया सी.बी. ट्राइवल डेमोग्राफी इन इण्डिया, किताब महल, दिल्ली – 195, पृ. क्र. 20
8. बेरियर एल्विन ए–चुडी ल फार ट्राइबल इण्डिया, गृह मंत्रालय भारत सरकार – 1961 पृ. 31
9. प्रिया, नीरज (2006), शिक्षक सामाजिक परिवर्तन का अभिकर्ता, भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन.सी.ई.आर.टी. वर्ष – 24, अंक–3, पृ. 15–26.
10. पाठक, पी.डी. (2007), भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं इक्कीसवां संस्करण, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा.
11. सिंह, ममता (2007), प्राथमिक स्तर पर निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का अध्ययन, Researches and Studies, 58:85.
12. यादव, केदारनाथ सिंह एवं यादव, रामजी (2005), बुनियादी शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, प्रथम संस्करण, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली.
13. तिवारी, डॉ.(श्रीमती) रंजना, रीवा जिले के गंगेव विकासखण्ड में हाई स्कूल में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के बालिकाओं में संचार साधनों के प्रचार–प्रसार द्वारा शिक्षा के प्रति चेतना जागृत का विश्लेषणात्मक अध्ययन, Research Expo International Multidisciplinary Research Journal. 2016: 4(1):69-77.
14. वर्मा, डॉ. जग प्रसाद, सिंगरौली जिले में उच्च प्राथमिक स्तर पर आदिवासी शिक्षा के विकास का समीक्षात्क अध्ययन, International Journal of Multidisciplinary Education and Research. 2016; 1(2):01-04.